आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Maharashtra Council of Agriculture Education and Research (MCAER)

Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj Shikshan Shulkh Shishyavrutti Yojna(EBC)

कृषि परिषद के डिप्लोमा, डिग्री और स्नातकोत्तर कोर्स के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए ट्यूशन और परीक्षा फीस का 100 प्रतिशत, यदि परिवार की आय 8 लाख रुपये तक हो।

क्या मिल सकता है

ट्यूशन फीस का 100 प्रतिशत और परीक्षा फीस का 100 प्रतिशत।

किसके लिए है

महाराष्ट्र के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी जिन्होंने कृषि परिषद के डिप्लोमा, डिग्री या स्नातकोत्तर प्रोफेशनल और गैर प्रोफेशनल कोर्स में CAP से प्रवेश लिया, पारिवारिक आय 8 लाख रुपये तक।

मुख्य शर्तें

- भारतीय नागरिकता
- महाराष्ट्र का अधिवास
- संस्थान का वास्तविक विद्यार्थी, प्रोफेशनल, गैर प्रोफेशनल या तकनीकी कोर्स (डिप्लोमा, स्नातक या स्नातकोत्तर), 14 जनवरी 2019 के शासन निर्णय के अनुसार
- डीम्ड और निजी विश्वविद्यालय शामिल नहीं
- केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया (CAP) से प्रवेश
- आप कोई अन्य छात्रवृत्ति या वृत्ति न लें
- चालू शैक्षणिक वर्ष में परिवार के केवल 2 बच्चों को लाभ की अनुमति
- परिवार या अभिभावक की कुल सालाना आय 8 लाख रुपये से अधिक नहीं
- पिछले सेमेस्टर में कम से कम 50 प्रतिशत उपस्थिति (नए प्रवेश वाले से नहीं मांगी जाती)
- कोर्स के दौरान 2 या अधिक साल का अंतराल नहीं
- सामान्य श्रेणी या SEBC श्रेणी में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी पात्र हैं

दस्तावेज़

- SSC की अंकतालिका और उसके आगे की
- अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी अधिवास प्रमाणपत्र
- पारिवारिक वार्षिक आय प्रमाणपत्र
- वचन कि चालू वर्ष में परिवार के 2 से अधिक लाभार्थी लाभ नहीं ले रहे
- CAP संबंधित कागज़ात
- बायोमेट्रिक उपस्थिति का प्रमाण (UIDAI इंटरफ़ेस)

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://mahadbt.maharashtra.gov.in/SchemeData/SchemeData?str=E9DDFA703C38E51AF93663E6569EFD2493B74079C9D4BC045DDEC4D398AED1BA
आधिकारिक आवेदन: https://mahadbt2.maharashtra.gov.in/
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/maharashtra/mahadbt-rajarshi-chhatrapati-shahu-maharaj-shikshan-shulkh-shishyavrutti-yojna-mcaer/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।